न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2016

1. सूरजपाल पुत्र श्री दाना राम निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: निर्णय ::– दिनांक :–26.12.2017

प्रार्थी सूरजपाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 11 एल.एल. पटवार मण्डल ततारसर तहससील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 93 के मु.नं. 52 का 3.099 हैक्टर रकबे में से साझा खाते में 0.774 हैक्टर रकबा सुरजाराम पुत्र दानाराम जाति नायक सहखातेदार के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सुरजाराम पुत्र श्री दानाराम अंकित है। जबकि मेरा सही नाम सूरजपाल पुत्र श्री दानाराम है। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सूरजपाल अंकित है। अतः आपके निवेदन है कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी में सुरजा राम की जगह सूरजपाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट मुताबिक चालू जमाबन्दी चक 11 एल.एल. पटवार मण्डल ततारसर तहससील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 93 के मु.नं. 52 का 3.099 हैक्टर रकबे में से साझा खाते में 0.774 हैक्टर रकबा सुरजाराम पुत्र दानाराम जाति नायक सहखातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी को उक्त रकबा जरिए नामान्तकरण संख्या 30 विरास्त से प्राप्त हुआ है। विरास्त के नामान्तकरण में भी प्रार्थी का नाम सुरजाराम पुत्र दानाराम है। प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम सूरजपाल है। प्रार्थी के शपथ पत्र व सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सूरजपाल व सूरजाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम सुरजाराम की जगह सूरजपाल करवाना चाहता है।

प्रार्थी का सही नाम सूरजपाल है परन्तु विरास्तन नाम खोलते समय सुरजाराम दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन है कि सुरजाराम हमारी जाति/समाज को सम्मानजनक नहीं है। अतः सुरजाराम की बजाय सूरजपाल किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया गया तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 11 एल.एल. पटवार मण्डल ततारसर तहससील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 93 के मु.नं. 52 का 3.099 हैक्टर रकबे में से साझा खाते में 0.774 हैक्टर रकबा सुरजाराम पुत्र दानाराम जाति नायक सहखातेदार के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सुरजाराम पुत्र श्री दानाराम से स्थान पर सूरजपाल पुत्र दाना राम दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

अधिकारी

सूरजपाल बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 535/2017

AS/2

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर